बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::संकल्प::–

पटना–15, दिनांक......................

श्री राजेश रंजन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–789/11 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर (समस्तीपुर) के पद पर पदस्थापन काल में इंदिरा आवास योजना एवं इंदिरा आवास उन्नयन योजना की राशि गबन करने आदि आरोपो के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11016 दिनांक 02.07.2013 द्वारा श्री रंजन को निलंबित किया गया।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12394 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी। आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री रंजन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4006 दिनांक 23.03.2018 द्वारा श्री रंजन को निलंबन मुक्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13295 दिनांक 05.10.2018 द्वारा दंड संसूचित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक 13910 दिनांक 22.10.2018 द्वारा निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में श्री रंजन से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री रंजन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री रंजन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा निलंबन अवधि को अन्य सभी प्रयोजन हेतु कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः–27/आरोप–01–26/2019 सा0प्र0 9071 **/ पटना–15 दिनांक** 8-7-19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/लखीसराय/पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री राजेश रंजन, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–789/11 वरीय उप समाहर्त्ता, अरवल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.7.19

सरकार के अवर सचिव।